न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 43/2019

शीर्षक

1 भगवानसहाय जाटवा पुत्र स्व0 श्री छोटूराम जाटवा निवासी ग्राम ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1 प्रेमचन्द पुत्र श्री दुर्गादत्त
2 सुनील कुमार गोयल पुत्र प्रेमचन्द
3 विनय कुमार गोयल पुत्र प्रेमचन्द
4 नितिन कुमार गोयल पुत्र प्रेमचन्द
समस्त जातियान महाजन निवासीयान 11/5 वसन्त विहार नई दिल्ली हाल निवासी सुराण्या तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
5. डी.आर. शर्मा के/ऑ प्रेमचन्द अग्रवाल जाति ब्राहम्ण निवासी नामालूम हॉल निवासी सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 1/11/2021

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर जाहिर किया गया कि वादी अनुसुचित जाति का व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण स्वर्ण जाति है। हाल आराजी खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.20 है0 , 1144 रकबा 0.43 है0, 1145 रकबा 0.65 है0, कुल किता 3 रकबा 1.28 है0 तथा आराजी खसरा नम्बर 1146 रकबा 0.01 है0, 1147 रकबा 1.07 है0, 1147/1323 रकबा 0.04 है0, 1148 रकबा 0.87 है0, 1155 रकबा 0.26 है0, कुल किता 5 रकबा 2.25 है0 वाके ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित वादीगण की कब्जे कास्त की खातेदारी भूमि है । वादी के पड़ौस में ही प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 की भूमि व फार्म हाउस है प्रतिवादी सं0 1 से 4 एक ही परिवार के सदस्य है तथा प्रतिवादी सं 5 प्रतिवादी सं0 1 से 4 का मुनीम है जो कि अक्सरतः प्रतिवादी सं0 1 से 4 के फार्म हाउस पर आता जाता रहता है । वादी राजकीय सेवा में कार्यरत है एवं अधिकांशतः वादी का पदस्थापन जयपुर से बाहर रहा है तथा वर्तमान में भी वादी जयपुर से बाहर पदस्थापित है। इस बात का फायदा उठाकर प्रतिवादीगण तथा उनके अन्य प्रतिनिधि सीरी, चौकीदार आदि आये दिन अपने फार्म पर आते है तथा रात को रूकते है एवं वादी की कब्जे कास्त एवं खातेदारी की भूमि पर नाजायज जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है तथा वादी के कब्जे कास्त की भूमि में अडचन पैदा करते है एवं कास्त करने में भी दखल अंदाजी करते है। दिनांक 24.5.2018 को वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण ने साज बाज होकर वादी की भूमि पर डोली/कुडी कर दी तथा वादी की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करने की नीयत से घुसने का प्रयास किया जिस पर वादी ने जिला प्रशासन को इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई जिस पर जिला प्रशासन ने तत्समय रोक दिया तथा दिनांक 12.7.19 को वादी की उपरोक्त भूमि पर प्रतिवादीगण एवं उनके प्रतिनिधि चौकीदार, सीरी ने एक राय होकर वादी की लगभग 4 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया तथा सीमेन्ट के खम्भे गाडने शुरू कर दिये तथा वादी की बोई हुई फसल को नष्ट करते हुए अपनी ओर से अन्य फसल बोने का प्रयास किया । वादी के सीरी ने इसका विरोध किया तो प्रतिवादीगण आग बबूला हो गये तथा कहने लगे कि हम इस भूमि पर कब्जा करके रहेगे । दिनांक 21.7.2019 की रात्रि को प्रतिवादीगण व उनके सीरी वादी की भूमि में जबरन घुसकर खेत में बने कुए पर लगी बिजली की मोटर के स्टार्टर के तार भिडाकर जला दिये तथा डीपी के तार भिडाकर वादी के खेत में लगने वाले विद्युत कनेक्शन को बन्द कर दिया । इस प्रकार प्रतिवादीगण व उनके एजेन्ट, सर्वेन्ट व प्रतिनिधि वादी के कब्जे कास्त एवं खातेदारी की भूमि में आये दिन जबरन कब्जा करने का प्रयास करते रहते है तथा बिजली कनेक्शन में व्यवधान पैदा करते है जिससे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ । अन्त में वादी ने निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण की उक्त आराजी के कब्जेकास्त एवं खातेदारी में कोई मजाहमत न करे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गए। प्रतिवादी सं0 1 से 5 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री मगलचन्द यादव ने दिनांक 11.2.2021 को वकालतनामा पेश किया तथा जवाबदावा पेश करने हेतु अवसर चाहा । प्रतिवादीगण की ओर से अभी तक जवाबदावा पेश नहीं किया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जय

प्रकरण आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के ग्राम पंचायत सुराणा में आयोजित शिविर में रखा गया जिसमें वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये तथा प्रतिवादीगण की ओर उनके प्रतिनिधि उपस्थित आये जिनके द्वारा अन्य प्रकरण 19/2019 सुनील गोयल बनाम लक्ष्मण वगैरह विचाराधीन है में अपनी ओर से पैरवी कर मौखिक रूप से वादीगण द्वारा पेरशान करने व प्रतिवादीगण की भूमि में तारबन्दी नहीं करने देने आदि के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखा । हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा पाया गया कि उक्त आराजी वादीगण के खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादीगण जो इसके लगती हुई भूमि है के द्वारा भी वादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र मु0नं0 19/2019 विचाराधीन है जिसमें इस प्रकरण के वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने हेतु निवेदन किया गया है लेकिन आज प्रकरण में वादीगण अपने स्वंय के वादपत्र के संबंध में भी उपस्थित नहीं आये । चूंकि दोनों प्रकरण स्थायी निषेधाज्ञा का है तथा कैम्प में मौतबिरान से जानकारी करने पर उपस्थित आमजन ने भी बताया कि उक्त भूमि पर दोनों पक्ष काबिज है । हमने दोनो प्रकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण आस पडौस के खातेदार कास्तकार है तथा दोनो खातेदार अपनी अपनी भूमि पर काबिज है लेकिन उनकी सीमाओं को लेकर आपस में विवाद है। प्रतिवादीगण की ओर से उनके प्रतिनिधि ने जाहिर किया कि प्रतिवादी अपनी भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवा चुके है तथा मुताबिक पत्थरगढी के अनुसार तारबन्दी करने में वादीगण विरोध करते है।

हमने प्रशासन गावों के संग अभियान में प्रकरण सहमति से निस्तारण को ध्यान में रखते हुए निस्तारण करना चाहा लेकिन पाया गया कि वादीगण स्वयं तथा न ही उनकी ओर से कोई उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है तथा न ही वादीगण जो कि अन्य प्रकरण में प्रतिवादीगण है उपस्थित नहीं आये है। वादीगण स्वंय के द्वारा पेश वाद में भी पेश नही आये । दोनों प्रकरण का भलीभांति अवलोकन किया गया दोनो प्रकरण स्थायी निषेधाज्ञा का है जिनका निस्तारण करना उचित समझते है।

प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण के नाम उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना साबित होती है तथा विचाराधीन अन्य प्रकरण में प्रतिवादीगण को उप तहसीलदार मनोहरपुर के द्वारा दिनांक 15.6.2018 को पुलिस जाप्ता के साथ सीमाचिन्ह कायम किये जाकर सीमाचिन्हो पर पत्थर लगावाये जाकर खातेदारों को निसानात बताया जाना फर्द मौका सीमाज्ञान/पत्थरगढी में स्पष्ट है। इससे यह जाहिर है कि प्रतिवादीगण के द्वारा अपनी भूमि की सीमाओं की भली भांति जानकारी है। वादीगण ने अपनी भूमि की सीमाज्ञान/पत्थरगढी करवाई है या नहीं यह तथ्य ना तो वाद पत्र में पेश किया है तथा न ही दौराने सुनवाई में कोई तथ्य पेश किया गया है इससे यह स्पष्ट है कि वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद रहते है । जबकि प्रतिवादीगण के द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाया जा चुका है तथा उनको उनकी भूमि की सीमा की जानकारी भी होना स्पष्ट रूप से सीमाज्ञान /पत्थरगढी फर्दमौका रिपोर्ट से जाहिर होता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण भी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहते है । लेकिन वादीगण के द्वारा अपनी भूमि की सीमाज्ञान करवाना तथा अपनी भूमि की सीमा की जानकारी होना प्रकरण में जाहिर नहीं होता है । इस प्रकार वादीगण को अपनी भूमि की सीमाज्ञान होना आवश्यक है ताकि अनावश्यक सीमा विवाद नहीं हो । चूंकि विवादित आराजी वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा उसका उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है । वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहता है लेकिन प्रतिवादीगण के द्वारा अपनी भूमि की सीमाज्ञान करवाया हुआ है तथा वे अपनी भूमि पर काबिज है । इस प्रकार हम दोनो पक्षो को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझते है।

अतः दावा डिक्री किया जाता है कि वादीगण अपनी भूमि की नियमानुसार सीमाज्ञान करवावें मुताबिक सीमाज्ञान के प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की भूमि हाल आराजी खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.20 है0 , 1144 रकबा 0.43 है0, 1145 रकबा 0.65 है0, कुल किता 3 रकबा 1.28 है0 तथा आराजी खसरा नम्बर 1146 रकबा 0.01 है0, 1147 रकबा 1.07 है0, 1147/1323 रकबा 0.04 है0, 1148 रकबा 0.87 है0, 1155 रकबा 0.26 है0, कुल किता 5 रकबा 2.25 है0 वाके ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में मुताबिक सीमाज्ञान से वादीगण के कब्जे कास्त में किसी प्रकार दखलन्दाजी व मजाहमत पैदा नहीं करे तथा सीत नींव को नहीं काटे, तथा न ही अपने एजेन्ट, नौकरो आदि से करवावे । वादीगण को उनकी आराजी का उपयोग व उपभोग शान्तिपूर्वक करने देवे । तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ हेतु लिखा जावे । तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 1/11/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

1 भगवानसहाय जाटवा पुत्र स्व0 श्री छोटूराम जाटवा निवासी ग्राम ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1 प्रेमचन्द पुत्र श्री दुर्गादत्त
2 सुनील कुमार गोयल पुत्र प्रेमचन्द
3 विनय कुमार गोयल पुत्र प्रेमचन्द
4 नितिन कुमार गोयल पुत्र प्रेमचन्द
समस्त जातियान महाजन निवासीयान 11/5 वसन्त विहार नई दिल्ली हाल निवासी सुराण्धा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
5. डी.आर. शर्मा के/ऑ प्रेमचन्द अग्रवाल जाति ब्राहम्ण निवासी नामालूम हॉल निवासी सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 1/11/2021

अतः दावा डिकी किया जाता है कि वादीगण अपनी भूमि को नियमानुसार सीमाज्ञान करवावें तथा मुताबिक सीमाज्ञान के प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की भूमि हाल आराजी खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.20 है0 , 1144 रकबा 0.43 है0, 1145 रकबा 0.65 है0, कुल किता 3 रकबा 1.28 है0 तथा आराजी खसरा नम्बर 1146 रकबा 0.01 है0, 1147 रकबा 1.07 है0, 1147/1323 रकबा 0.04 है0, 1148 रकबा 0.87 है0, 1155 रकबा 0.26 है0, कुल किता 5 रकबा 2.25 है0 वाके ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में मुताबिक सीमाज्ञान से वादीगण के कब्जे कास्त में किसी प्रकार दखलन्दाजी व मजाहमत पैदा नहीं करे तथा सीव नींव को नहीं काटे, तथा न ही अपने एजेन्ट, नौकरो आदि से करवावे । वादीगण को उनकी आराजी का उपयोग व उपभोग शान्तिपूर्वक करने देवे । तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ हेतु लिखा जावे ।

निर्णय आज दिनांक 1/11/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मुनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ____ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह खर्च आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	